रां०सं०-5 बजट (1) 28 / 2022 ....59 रां० / वि०)

(159)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक 15-03-2024

विषय-- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" के तहत् विभिन्न जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के निमित्त कुल रु० 33.7719 लाख (तैंतीस लाख सतहत्तर हजार उन्नीस सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के विरूद्ध लंबित भुगतान के निमित्त जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 मो0 39.2839 लाख (उनचालीस लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" के तहत् विभिन्न जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के निमित्त कुल रु० 33.7719 लाख (तैंतीस लाख सतहत्तर हजार उन्नीस सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के विरूद्ध लंबित भुगतान के निमित्त जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 मो0 39.2839 लाख (उनचालीस लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है- (राशि रु0 में)

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर
1	कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखण्ड स्थित उरवां फिश फीड मिल की मरम्मति के साथ Sanitory एवं Electrical कार्य	14,28,390 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 28.11.2023 को।
	कुल योग:	**14,28,390 / -**	

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है-

(राशि रु0 में)

कम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला का नाम
1	चंदवारा प्रखण्ड स्थित उरवां फिश फीड मिल के परिसर के चाहरदीवारी निर्माण के साथ कन्सरटीना फेंसिंग	19,48,800 / -	17,43,644 / -	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा द्वारा दिनांक 22.11.2022 को।	कोडरमा
2	कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक 22.01.2014 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय राज्यादेश सं0 17 दिनांक 03.08.2018 द्वारा स्वीकृत योजनान्तर्गत हजारीबाग जिला में फिश फीड फैक्ट्री के भवन के निर्माण के अधूरे निर्माण कार्य का भुगतान हेतु मो0 7,56,355.39 / - रु0 (सात लाख छप्पन हजार तीन सौ पचपन रुपये उनचालीस पैसे) का भुगतान की स्वीकृति				
	कुल योग:	19,48,800 / -	**25,00,000 / -**	-	-

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं0 17 दिनांक 03.08.2018 द्वारा हजारीबाग जिला में फिश फीड फैक्ट्री की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन संवेदक को किया गया, किन्तु कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने से संबंधित कोई भी सूचना कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के द्वारा जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग को नहीं दी गयी। उक्त योजना का कार्यादेश संज्ञान में नहीं आने के कारण संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राशि प्रत्यर्पित कर दी गयी, जिसके कारण फिश फीड फैक्ट्री के भवन का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। अधूरे निर्माण कार्य के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में संवेदक द्वारा वाद सं0– WP(C) 3643/2021 दायर किया गया। दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश सं0 93 दिनांक 12.01.2024 निर्गत है। उक्त आदेश एवं सत्यापित मापी पुस्तिका में कार्य की मूल्यांकित राशि मो0 6,68,631/–रु0 मात्र पर 12% GST तथा 1% Labour Cess मिलाकर मो0 7,56,355.39/–रु0 (सात लाख छप्पन हजार तीन सौ पचपन रुपये उनचालीस पैसे) का भुगतान योजना की स्वीकृति प्राप्त कर प्रकियानुसार वादी को किया जाना है किन्तु भविष्य में इसपर किसी प्रकार का ब्याज अनुमान्य नहीं होगा।

4. कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखण्ड स्थित उरवां फिश फीड मिल के परिसर के चाहरदीवारी निर्माण के साथ कन्सरटीना फेंसिंग कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 19,48,800/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 17,43,644/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 2,05,156/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

5. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय राज्यादेश सं0 07 रा0 (वि0) दिनांक 13.06.2023 द्वारा "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" अंतर्गत बजट शीर्ष–2405–मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 780.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 729.982 लाख (सात करोड़ उनतीस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

6. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा –

(क) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध	राज्यादेश सं0 07 रा0 (वि0) दिनांक 13.06.2023 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन				
1	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53 S 24050010156010317**	20.00	20.00	0.00	0.00
2	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050010156010323**	270.00	269.997	0.00	0.003
3	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53 S 240500101560103 3**	25.00	25.00	0.00	0.00
4	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53 S 24050010156010544**	25.00	0.00	14.2839	10.7161
5	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–07– अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53 S 24050010156010759**	6.00	6.00	0.00	0.00
	उप योग :	**346.00**	**320.997**	**14.2839**	**10.7191**

लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
6	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23– आपूर्ति एव सामग्री 53 S 24050078956010323	60.00	59.994	0.00	0.006
	उप योग :	**60.00**	**59.994**	**0.00**	**0.006**
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
7	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03 प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण 53 S 24050079656010317	10.00	10.00	0.00	0.00
8	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एव सामग्री 53 S 24050079656010323	313.00	312.991	0.00	0.009
9	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय 53 S 24050079656010337	20.00	20.00	0.00	0.00
10	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53 S 24050079656010544	25.00	0.00	0.00	25.00
11	उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय 53 S 24050079656010759	6.00	6.00	0.00	0.00
	उप योग :	**374.00**	**348.991**	**0.00**	**25.009**
	कुल योग	**780.00**	**729.982**	**14.2839**	**35.7341**

(ख) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृति राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–65–फीड बेस्ड फिशरीज योजना–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050010165010545	25.00	0.00	25.00	0.00
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–65– फीड बेस्ड फिशरीज योजना–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050079665010545	25.00	0.00	0.00	25.00
	उप योग :	**50.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**
	कुल योग (क) + (ख) :	**830.00**	**729.982**	**39.2839**	**60.7341**

कुल मो0 39.2839 लाख (उनचालीस लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ नब्बे) रु0 मात्र।

7. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

8. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य / स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

10. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत राज्यादेश सं0 17 दिनांक 03.08.2018 द्वारा स्वीकृत फिश फीड फैक्ट्री के लंबित का भुगतान संबंधित संवेदक को किया जायेगा।

11. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

12. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0–01/आर0–04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

16. वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष–2405 एवं मुख्य शीर्ष–4405 मिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 850.00 लाख रु0 मात्र (संशोधित बजट उपबंध मो0 825.00 लाख रु0 मात्र) में मो0 555.68223 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।

17. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 59 रा0 (वि0)/रॉंची, दिनांक 15-03-2024
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 59 रा0 (वि0)/रॉंची, दिनांक 15-03-2024
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉंची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉंची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव